

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं० संख्या - 15/ख०-24-06/10(खण्ड)...../स्वा०, पटना, दिनांक-.....

श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा० प्र० से०, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 of 2006) की धारा 30 के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्कालिक प्रभाव से अपने वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-...../ पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 100 (एक सौ मात्र) प्रतियाँ औषधि नियंत्रण प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-...../ पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, एफ० डी० ए० भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी कोषागार, बिहार/उप कोषागार, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/राज्य औषधि नियंत्रक के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी खाद्य संरक्षा पदाधिकारी एवं अभिहित पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....57(15)...../ पटना, दिनांक-.....19/8/15.....

प्रतिलिपि:-श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा० प्र० से०, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।